न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक), दांतारामगढ जिला सीकर

प्रकरण संख्या– 486/2013/दावा

1. अब्दुल रजाक पुत्र जमाल खां जाति तेली–मुसलमान निवासी वार्ड नं0 17 ग्राम दांता तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

–वादी

ब ना म

1. सीताराम
2. भैरूराम } पुत्रगण चन्द्राराम

जाति माली निवासीगण दांता तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

3. निजाम
4. ईदू } पुत्रगण सुलेमान
5. ईमरान पुत्र नसीर
6. ताज मोहम्मद पुत्र हाजी जमाल
7. कालू पुत्र ताज मोहम्मद

जाति तेली (मुसलमान) निवासीगण दांता तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ
आवेदन अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी

उपस्थिति

1. श्री हरदेवाराम सुण्डा वकील वादी की ओर सें।
2. श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत वकील प्रतिवादी संख्या 3 व 4 /आवेदक 7(11) सीपीसी की ओर सें।

निर्णय

दिंनाक :– 24.01.2020

1. प्रतिवादी सं0 3 व 4 की ओर सें आवेदन अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश कर वकील प्रतिवादी ने कथन किया कि वादवर्णित भूमि खसरा नम्बर 537 रकबा 2.20 हैक्टर बाबत वादी ने माननीय न्यायालय में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश कर स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
दाँतारामगढ़(सीकर)

Scanned by CamScanner

चखूंकि राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी के अनुसार वादी वादग्रस्त संपदा का न तो खातेदार है और न ही कब्जाकाश्त है तथा स्वयं द्वारा 670 वर्गगज पर जन्म सें ही कब्जा होना जाहिर किया है जो आबादी भूमि है जिसके लिए सुनवाई का अधिकार राजस्व न्यायालय को न होकर सिविल न्यायालय को है। वादी ने अपने वादपत्र में न्यायालय सें किसी प्रकार की खातेदारी अधिकारों की उद्घोषणा नहीं चाही है इसलिए वादी का वाद विधि द्वारा वर्जित होने सें खारिज होने योग्य है अतः आवेदन अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार कर वादी का वाद खारिज फरमाया जावे।

2. वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का विरोध प्रकट करते हुये अपने जवाब में अंकित किया कि प्रतिवादी निजामुद्दीन व इदु मोहम्मद की कोई खातेदारी नहीं है न ही उनका कब्जा काश्त है। प्रतिवादीगण ने कतई गलत रूप सें आवेदन पेश किया है अतः आवेदन अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी खारिज फरमाया जावे।

3. बहस बकुलाय फरीकेन सुनी गई। बहस पर मनन किया गया एवं वादपत्र तथा उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। मूलवाद को पढा जाकर मनन किया गया। क्योंकि प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 7 नियम 11 सीपीसी निम्न आधारों पर है–

(क). जहां वह वाद हेतुक प्रकट नहीं करता है।

(ख). जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय सें नियम किया है ऐसा करने में असफल रहता है।

(ग). जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प पत्र देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है ऐसा करने में असफल रहता है।

(घ). **जहां वादपत्र में के कथन सें यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है।**

वादपत्र में वादी ने कृषि भूमि खसरा नम्बर 537 रकबा 2.20 हैक्टर तन ज्ञानदासपुरा पटवार हल्का दांता तहसील दांतारामगढ में सें 670 वर्गमीटर भूमि पर अपने जन्म सें ही कदीनी कब्जे व उपयोग उपभोगशुदा बताया है जबकि पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन सें साबित है कि वादी विवादित भूमि का रिकॉर्डेड खातेदार नहीं है तथा न ही खातेदारी उद्घोषणा का दावा पेश किया गया है बल्कि वादी ने केवल स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश किया है। अतः वादी का स्थायी निषेधाज्ञा का वाद विधि द्वारा वर्जित है। **अतः वादी का वाद विधिविरूद्ध होने के कारण खारिज होने योग्य है।**

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
दांतारामगढ़ (सीकर)

Scanned by CamScanner

अतः प्रतिवादी संख्या 3 व 4 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाता है तथा न्यायालय द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुये वादी का वाद इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर सें कम व दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.01.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D' - 1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक), दांतारामगढ जिला सीकर

इजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

अब्दुल रजाक बनाम सीताराम आदि

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ

मुकदमा नं0 486 / दावा सन् 2013 निर्णय दिनांक. 24.01.2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **अशोक कुमार** आर.ए.एस बहाजरी **श्री हरदेवाराम सुण्डा** मिनजानिब मुददई व **श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत** मिनजानिब मुददालह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि प्रकरण में प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादी का मूलवाद खारिज किया जाता है।

उपरोक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है

बीज ..... मुबलिग ..... बाबत ..... खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ..... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 24.01.2020 को जारी की गई।

मोहर

दस्तखत ओहदा

मुददई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	6	00	स्टाम्प वकालतनामा	1	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	–	–	मेहनताना वकील पर ...		
मेहनताना वकील	–	–	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–	–	फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर	–	–	बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	–	मुतफरिक	0	00
मुतफरिक	8	00		0	00
मीजान	15	00	मीजान	1	00

नोट: इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिए।

(अशोक कुमार)

सहायक कलक्टर(फास्टट्रेक), दांतारामगढ

Scanned by CamScanner